"परिशिष्ठ-1"

मानतीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण 2006-07 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति का विवरण :-

क्र. सं.	बजट में की गई घोषणा	पालना रिपोर्ट
1.	176. समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर गरीब महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, दस्तकारों आदि को राहत प्रदान करने हेतु यह प्रस्तावित है कि स्वयं सहायता समूहों एवं Differential Rate of Intrest योजनाओं के ऋण संबंधी दस्तावेजों को मुद्रांक शुल्क से पूर्णतः मुक्त किया जाये।	अधिसूचना क्रमांक एफ.12(14)वित्त/कर/2006-147 दि. 8.3.06 के द्वारा भारत सरकार की विभेदकारी ब्याज दर योजना (D.R.I.) एवं राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वयं सहायता समूह योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण लेने के प्रयोजन के लिए निष्पादित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।
2.	177. वर्तमान में स्टॉक एक्सचेंज तथा संबद्ध संघों एवं व्यक्तियों द्वारा डिमेट खातों (इलेक्ट्रोनिक) के लेन-देन पर मुद्रांक शुल्क नहीं है, जबकि अब उक्त कारोबार डिमेट खातों से किया जाता है। इन खातों पर मुद्रांक शुल्क प्रत्यारोपित करने हेतु राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1958 में 'निष्पादन', 'हस्ताक्षरित', 'दस्तावेज' एवं 'सिक्यूरिटी' की परिभाषाओं में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।	राजस्थान वित्त विधेयक 2006 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा-2 में विद्यमान खण्ड (i) के पश्चात खण्ड (i क) नया जोड़कर (association) को परिभाषित किया गया है एवं (xix) के नीचे नया स्पष्टीकरण जोड़कर सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2000 की धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (न) में परिभाषित इलेक्ट्रोनिक अभिलेख को दस्तावेज में सम्मिलित किया गया है एवं धारा-11 के अनुसार इलेक्ट्रोनिक रिकार्ड के संकेतन (attribution) को हस्ताक्षरित एवं हस्ताक्षर में सम्मिलित किया गया है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की परिभाषा खण्ड (xxxvi) में शामिल की गई है। राजस्थान वित्त विधेयक 2006 के द्वारा राजस्थन स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा-85 में संशोधन कर संगम (association) व स्टॉक एक्सचेंज को शामिल किया गया है ताकि उक्त कार्यालयों के यहाँ इलेक्टोनिक फारमेट में सिक्यूरिटी के संबंध में हुए क्रय-विक्रय के संव्यवहार पर स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की जांच की जा सके। राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 की अनुसूची में नया आर्टिकल 5-ए जोड़कर सिक्यूरिटी के संव्यवहार इत्यादि से संबंधित इलेक्ट्रोनिक फारमेट में ऑन लाईन निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :-

F7-G-Land

		"5-क किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा धारा 2 के खण्ड (1क) और (xxxvi) में निर्दिष्ट किसी संगम या स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कार्यान्वित संव्यवहार का अभिलेख (इलैक्ट्रोनिक या अन्यथा)",	
		(क) यदि सरकार प्रतिभूतियों के विक्रय और क्रय से संबंधित हो।	प्रतिभूति के मूल्य के प्रत्येक एक करोड़ रुपये या उसके भाग के लिए पचास रुपये।
		(ख) यदि उपर्युक्त मद (क) के अधीन आने वाली से भिन्न प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय से संबंधित हो:-	
		(i) परिदान के मामले में	प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।
		(ii) अपरिदान के मामले में	प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसा।
		(ग) यदि भावी और विकल्प व्यापार से संबंधित हो	प्रत्येक 10,000 रुपये या उसके भाग के लिए बीस पैसा।
		(घ) यदि किसी संगम के माध्यम से या अन्यथा व्यापार की गई वस्तुओं का अग्रिम संविदा से संबंधित हो	प्रत्येक 1,00,000 रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया।

F7-G-Land

		अब तक 6,14,111/-रूपये की राशि जयपुर स्टॉक एक्सचेंज से वसूल की गई है। अन्य स्टॉक एक्सचेंज के विरुद्ध विवरण प्राप्त करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पत्र लिखे गये हैं। अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर को मुम्बई भेजा गया है उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर अन्य से वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी। इस बाबत विस्तृत विवरण विभाग के पत्र क्रमांक एफ-7(97)जन/06/10067 दिनांक 12.6.06 के द्वारा प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया है।
3.	179. वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं अन्य समान प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाली बड़े भूखण्डधारी समाज के विकास और कल्याण के लिए योगदान करने में सक्षम है। मैं, वित्त विधेयक के माध्यम से एक नया भूमि कर लगाना प्रस्तावित कर रही हूँ जिससे कि इस विधेयक के दायरे में आने वाले भू-मालिकों पर यह कर लगाया जा सके। मैं यह भी बताना उचित समझती हूँ कि कृषि, आवासीय एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि को इस कर के दायरे से बाहर रखा गया है।	इस संबंध में राजस्थान वित्त अधिनियम 2006 के अध्याय-VII के अनुसार भूमि पर कर लगाये जाने हेतु अधिनियम बनाकर अधिसूचनायें जारी कर दी गई हैं तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले भूमि कर नियम 2006 एवं राजस्थान वित्त अधिनियम 2006 की धारा धारा-37 (2), धारा-39 व धारा-51 के अन्तर्गत की जाने वाली अधिसूचनाओं के प्रारूप सरकार को विभाग के पत्र क्रमांक एफ-7(95)जन/06/8229 दिनांक 1.5.06 के द्वारा राज्य सरकार को भिजवा दिये गये हैं जो विधि विभाग में अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं।

"परिशिष्ठ"

<u>माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट भाषण 2007–08 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति का विवरण :–</u>

क्र. सं.	*बजट में की गई घोषणा*	*पालना रिपोर्ट*
1.	217. वर्ष 2000 में ऐसे कृषकों जिनकी कृषि भूमि भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित की गई हो, को ग्रमीण क्षेत्रों में उनके द्वारा कृषि भूमि क्रय करने पर, पंजीयन हेतु 7 प्रतिशत का रियायती स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया था। पंजीयन शुल्क की दर से कमी के पश्चात् भी इस दर में कमी नहीं की गई है। मैं ऐसे कृषकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रस्तावित करती हूँ। यह छूट ऐसे कृषकों को मुआवजा प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर पंजीयन हेतु विक्रय–पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगी। यह छूट उनके द्वारा मुआवजा राशि तक की भूमि के मूल्य तक सीमित होगी।	राज्य अधिसूचना दिनांक 9.3.07 द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना दिनांक 24.4.2000 अतिष्ठित करते हुए ऐसे कृषकों जिनकी कृषि भूमि, भूमि अर्जन नियम 1894 के उपबंधों के अधीन अर्जित कर ली गई है, द्वारा कृषि भूमि के विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए भूमि के बाजार मूल्य पर परिवर्तित शुल्क को घटाकर 50 प्रतिशत किया गया है :– 1. कि क्रय की गई ऐसी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। 2. कि लिखत अर्जित भूमि के स्थान पर प्रतिक्रत धन के संदाय से 6 मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जायेगी, और 3. कि उपर्युक्त घटाई गई दर, क्रेता द्वारा प्राप्त प्रतिकर की रकम तक क्रय की गई भूमि के बाजार मूल्य की रकम पर लागू होगी।
2.	218. इसी प्रकार कुछ वर्षों से परिवार के संबंधियों के पक्ष में निष्पादित दान–पत्र पर स्टाम्प शुल्क हेतु रियायती 5 प्रतिशत दर निर्धारित है। उसके पश्चात् conveyance पर स्टाम्प शुल्क में तो कमी की गई है, किन्तु संबंधी के पक्ष में दान–पत्र पर स्टाम्प शुल्क में कमी नहीं की गई। अतः उपरोक्त संबंधियों के पक्ष में दान–पत्र निष्पादित करने पर देय स्टाम्प शुल्क conveyance हेतु निर्धारित स्टाम्प शुल्क का 50 प्रतिशत करना प्रस्तावित करती हूँ।	पूर्व अधिसूचना दिनांक 12.7.04 को अतिष्ठित करते हुए जारी अधिसूचना दिनांक 9.3.07 द्वारा बहिन या पुत्री या पौत्री या माता या पत्नि या पुत्रवधु या सगे भाई, पौत्र, पिता और पति के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर परिवर्तित शुल्क घटाकर 50 प्रतिशत किया गया।

3.	219. गत वर्ष जयपुर शहर में "कहीं भी पंजीयन योजना" लागू की गई थी जिसके तहत आमजन को उनके निकटतम पंजीयन कार्यालय में दसतावेज पंजीयन की सुविधा प्रदान की गई। भारत में सर्वप्रथम लागू इस योजना के उत्साहजनक परिणाम आये हैं। यह दृष्टिगत रखते हुए "कहीं भी पंजीयन योजना" को अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी जिलों में लागू किया जायेगा।	राज्य अधिसूचना दिनांक 9.3.97 द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 5 (1) व 6 के अन्तर्गत इस संबंध में विद्यमान समस्त अधिसूचनाओं की अधिक्रमित करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए जिलों/उपजिलों का गठन कर तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण कर उनके पदाभिधान के आधार पर रजिस्ट्रीकरण उपजिले के लिए उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सम्पूर्ण राज्य में जिलेवार कहीं भी पंजीयन योजना लागू की जा चुकी है।
4.	220. इस वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कुछ श्रेणी की भूमियों पर भूमि कर लगाया गया है। भूमि कर को युक्तिसंगत बनाने के लिए मैं निम्न प्रस्ताव करती हूँ। Rock phosphate–धारित भूमियों पर भूमि कर संशोधन कर 100/–रूपये प्रति वर्ग मीटर, lead-zinc एवं तांबा–धारित भूमियों पर इसे संशोधित कर 10/–रूपये प्रति वर्ग मीटर, SMS एवं cement grade चूना पत्थर–धारित भूमियों पर इसे 4/–रूपये प्रति वर्ग मीटर और जिप्सम–धारित भूमियों पर इसे 2/–रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही sandstone–धारित भूमियों पर भूमि कर लागू किये जाने की दिनांक से इसकी दर 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर करना प्रस्तावित करती हूँ।	पूर्व अधिसूचना दिनांक 31.3.06 को अतिष्ठित करते हुए जारी अधिसूचना दिनांक 9.3.07 द्वारा वांछित दरों से धातुवाईज धारित भूमियों पर भूमि कर की अलग–अलग दरों से भूमि कर वसूली की व्यवस्था की गई है, जिसे अधिसूचना दिनांक 19.6.07 द्वारा पुनः संशोधन कर धातुवाईज भूमि की की दरों को युक्तियुक्त किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण 2008–2009 में की गई घोषणाओ की क्रियान्विति का विवरण :–

क्र.सं.	बजट में की गई घोषणा	पालना रिपोर्ट
1	191– राजस्थान स्टाम्प एक्ट के तहत चल सम्पत्ति जैसे कि टी.वी., फ्रिज के विक्रय पर आधा प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी लगने का प्रावधान है। मैं चल सम्पत्ति के विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता को समाप्त करना प्रस्तावित करती हूँ।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(15)वित्त/कर/2008/96 दिनांक 25.02.2008 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 21 के उप–खण्ड (II) के अधीन चल सम्पत्ति के अन्तरण के लिये निष्पादित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार (मुक्त) किया जा चुका है। अतः उक्त बजट घोषणा की अनुपालना अपेक्षित नही है।
2	192– राजस्थान स्टाम्प एक्ट की धारा 65 एवं 67 के अन्तर्गत पंजीयन के मामले में अपील एवं रिवीजन की स्थिति में अपीलकर्ता अथवा रिवीजनकर्ता द्वारा विवादित राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने का प्रावधान है। इससे, भारी मात्रा में राशि अपील/रिवीजन दायर करने से पहले ही जमा करानी पड़ती है। फलस्वरूप लोगो को आर्थिक परेशानी के साथ अपने विधिक अधिकार से वंचित होने की सम्भावना रहती है। अतः 50 प्रतिशत राशि के स्थान पर अपील/रिवीजन करने से पहले 25 प्रतिशत राशि जमा करने का प्रावधान किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सदन की इसी सत्र के दौरान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।	इस विभाग के पत्रांक एफ.7(39)जन/08/286 दिनांक 07.02.2008 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 65 व 67 में संशोधन हेतु प्रस्ताव पूर्व में ही राज्य सरकार को प्रेषित किये हुये है। (प्रतिलिपि संलग्न) उक्त बजट घोषणा की अनुपालना हेतु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 65 व 67 में आवश्यक संशोधन राज्य स्तर से किया जाना उपेक्षित है।
3	193– सम्पत्ति के विक्रय पंजीयन के समय कई मामलों में यह देखा गया है कि निर्धारित DLC Rate से अधिक कीमत पर पंजीयन किया जा रहा है। सम्पत्ति के वास्तविक दर पर ही अधिक पंजीयन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, मैं प्रस्तावित करती हूँ कि सरकारी संस्थान अथवा स्थानीय निकायों द्वारा आंवटित, बेचान या निलाम की गई भूमियों को छोड़कर, DLC Rate से अधिक दर से पंजीयन कराने की स्थिति में, DLC Rate से अधिक राशि पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(15)वित्त/कर/2008/95 दिनांक 25.02.2008 के द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लिखत में उल्लेखित प्रतिफल राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से अधिक है तो निर्धारित बाजार मूल्य और प्रतिफल की रकम के अन्तर पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क 11 प्रतिशत से घटाकर 3.25 प्रतिशत किया गया है, किन्तु यह सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी रीति में किये गये अन्तरण की दशा में लागू नही होगा। उक्त अधिसूचना में अन्य अधिसूचना कमांक एफ–12(15)एफडी/टैक्स/2008–10 दिनांक 17.4.2008 के द्वारा संशोधन कर 3.25 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत किया गया है। अतः उक्त बजट घोषणा की अनुपालना अपेक्षित नही है।

4	194– राज्य के आर्थिक विकास त्वरित होने से औधोगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय उपयोग के लिये कृषि भूमि के खरीद–बिक्री पर दबाव बढा है। Non-agriculture प्रयोजन के लिये कृषि भूमि खरीदी जाकर, उसके तुरन्त बाद भूमि रूपान्तरण किया जा रहा है। इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में हानि हो रही है। कृषि भूमि का बिक्री के पश्चात् non-agriculture प्रयोजन के लिये conversion होने की स्थिति में, अन्तर की राशि पर स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(15)वित्त/कर/2008/97 दिनांक 25.02.2008 के द्वारा राज्य सरकार, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, रीको, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम द्वारा भू–उपयोग के परिवर्तन के पश्चात् निष्पादित स्थावर सम्पत्ति की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जाकर, पूर्व भू–उपयोग और परिवर्तित भू–उपयोग के आधार पर संगणित भूमि के बाजार मूल्य के अन्तर पर ही प्रभारित करने का प्रावधान किया जा चुका है। अतः उक्त बजट घोषणा की अनुपालना अपेक्षित नही है।
5	195– भूमि कर : वर्ष 2006–07 से Finance Act. 2006 के तहत राज्य में कुछ किस्मों की भूमियों पर भूमि कर देय है। भूमि की परिभाषा और कर प्रभावी होने की तिथि को लेकर कुछ कानूनी एवं व्यवहारिक समस्याये उभर कर सामने आई है। अतः Finance Act. 2006 में संशोधन वित्त विधेयक के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।	राजस्थान वित्त विधेयक 2008 के अध्याय 6 में राजस्थान वित्त अधिनियम 2006 की धारा 37 व 38 को संशोधन कर, भूमि कर की परिभाषा और कर प्रभावी होने की तिथि को लेकर हुई कानूनी एवं व्यवहारिक समस्या के समाधान हेतु संशोधन किया जा चुका है। अतः उक्त बजट घोषणा की अनुपालना अपेक्षित नही है।

Performe -IV

Progress Report of Implementation of Chief Minister's Budget Speech 2009 - 10

Department – Inspector General, Registration and Stamps, Rajasthan, Ajmer

क्रम संख्या	पैरा संख्या	बजट घोषणा संक्षिप्त में	कार्यवाही का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	272	सम्पत्ति के विक्रय से राज्य को स्टाम्प ड्यूटी के तहत मिलने वाले Revenue में भारी कमी आ गई है। मौजूदा मन्दी के कठिन दौर में अचल सम्पत्ति की बिक्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वर्तमान में अचल सम्पत्ति के बिक्री पर 8 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगती है जबकि महिलाओं के लिये यह दर 5 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार का भी यही लक्ष्य है कि गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को अपना स्वयं का आशियाना आसानी से उपलब्ध हो। अतः स्टाम्प ड्यूटी की मौजूदा दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिये यह दर 5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूँ।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(84)वित्त/कर/2009 -30 समसंख्यक क्रमांक 31 दिनांक 08.7.2009 के द्वारा मुद्रांक शुल्क 8% से घटाकर 5% तथा महिलाओं के मामलों में 5% से घटाकर 4% के आदेश जारी किये जा चुके है एवं पालना की जा रही है।	
2	273	साथ ही, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में डी.एल.सी. रेट का निर्धारण लम्बित है। मन्दी के बावजूद भी डी.एल.सी. रेट से, वास्तविक मार्केट रेट काफी अधिक है। अतः जयपुर जिले में सभी प्रकार की भूमि की डी.एल.सी. रेट को तुरन्त प्रभाव से 25 प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, राज्य के दूसरे जिलों में सभी प्रकार की भूमि की डी.एल.सीरेट में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित है। इससे काश्तकारों को उनकी अधिग्रहित भूमि का उचित मूल्य मिल सकेगा तथा जरूरतमन्द जनता को आवासीय ऋण भी अधिक मिलेगा ।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(84)वित्त/कर/2009 -33 दिनांक 08.7.2009 द्वारा जयपुर जिले में स्थित भूमि के मामले में 25% ओर समस्त अन्य क्षेत्रों, जिनमें वर्ष 2009 में जिला स्तरीय समिति द्वारा दरें पुनरीक्षित नहीं की गई थी, में स्थित भूमि के मामलों में 10% की वृद्धि के आदेश जारी किये जा चुके है एवं आदेशों की पालना की जा रही है।	
3	274	आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों का मकान का सपना अब जल्दी साकार हो, इस हेतु EWS एवं LIG भूखण्डों एवं मकानों के प्रथम बार, आवंटन एवं बिक्री पश्चात् पंजीयन पर, EWS के लिये मात्रा 10 रूपये तथा LIG के लिये 25 रूपये स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तावित करता हूँ।	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(84)वित्त/कर/2009-32 दिनांक 08.7.2009 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, नगर सुधार न्यासों एवं नगर पालिकाओं द्वारा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मामले में पच्चीस वर्ग मीटर से अनधिक के कारपेट एरिया वाले आवासीय भूखण्ड या आवास इकाई के पट्टे या विक्रय के संबंध में, निष्पादित लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क घटाकर केवल 10/- रु0 किया जायेगा और निम्न आय वर्ग के 40 वर्गमीटर से अनधिक के कारपेट एरिया वाले आवासीय भूखण्ड या आवास	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>इकाई के मामले में घटाकर 25 रु0 निम्नलिखित शर्तों पर तुरंत प्रभाव से किया जायेगा, अर्थात्:-
(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के मामले में उस परिवार की मासिक आय 3300/- रुपये से अधिक न हो; और
(ख) निम्न आय वर्ग के मामले में उस परिवार की मासिक आय 3301/- से अन्यून और 7300/- रुपये से अधिक न हो।
उक्त अधिसूचना जारी की जाकर पालना की जा रही है।</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>275</td><td>खान आधारित रोजगार एवं खान उद्योग में मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 9.3.2007 को अधिसूचित सीसा,जस्ता, ताम्बा, रॉकफास्फेट, सीमेन्ट ग्रेड एवं Steel ग्रेड लाईमस्टोन तथा जिप्सम धारित जमीन को छोड़कर, शेष पाँच श्रेणी की भूमि पर निर्धारित विभिन्न भूमिकर की दरों को 50 प्रतिशत कम करना प्रस्तावित है।</td><td>राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(84)वित्त/कर/2009-35 दिनांक 08.7.2009 द्वारा भूमि कर की दरों को 01.4.2009 से घटाकर निम्नानुसार संशोधित की गई है :-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>भूमि का वर्ग</th><th>कर की दर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10 हैक्टर या अधिक माप वाली बलुआ पत्थर युक्त भूमियां</td><td>0.05 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शीशा-जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 10 हेक्टर या अधिक किन्तु 50 हैक्टर से कम माप वाली भूमि</td><td>0.40 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शीशा-जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 50 हैक्टर या अधिक, किन्तु 100 हैक्टर से कम माप वाली भूमि</td><td>0.50 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

			4	शीशा-जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 100 हेक्टर या अधिक, किन्तु 500 हैक्टर से कम माप वाली भूमि	0.65 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।	
			5	शीशा-जस्ता, तांबा, रॉक फास्फेट, सीमेण्ट और एसएमएस ग्रेड चूना पत्थर, जिप्सम और बलुआ पत्थर युक्त भूमियों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित 500 हैक्टर या अधिक माप वाली भूमि	0.75 रु. प्रति वर्ग मीटर या भूमि के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी कम हो।	